न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 669/2022

हुक्माराम पुत्र चम्पालाल जाति माली
निवासी पालडी मांगलिया, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. संतोकसिंह पुत्र मघाराम जाति माली
3. नेमीचन्द पुत्र भूराराम जाति माली
   निवासीगण रूपावतों का बेरा,
   कालीबेरी, जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर दिनांक 10 नवम्बर 2022 प्रकरण संख्या 146/2022

उपस्थित–
श्री रणजीतसिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या एक की ओर से
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2 व 3

नि र्ण य

दिनांक : 04 सित., 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण स ंख्या 146/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर द्वारा एक प्रार्थनापत्र कल्याणसिंह आदि के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132, 136 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज.–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पंचायत बागा में प्रस्तुत कर ग्राम बागा स्थिति आराजी खसरा संख्या 325 व 333 के मौके पर चल रहे रास्ते का राजस्व रिकार्ड में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है, जिससे आलौच्य प्रकरण में अपीलाण्ट हितबद्ध एवं प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है, किन्तु विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अतः आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अपीलाण्ट को अनुमति प्रदान की जावे। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जावे। वादग्रस्त आराजी के मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अपीलाधीन आदेश मौके की वस्तुस्थिति देखे बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि पटवारी हळका व भू.अ. निरीक्षक की मौका फर्द के अनुसार मौके पर रास्ता चलायमान है। खसरा संख्या 333 के खातेदारान चम्पालाल, नेमीचंद पुत्र तुलच्छीराम व हिम्मताराम जसराज पुत्र नारायणजी माली द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से आम रास्ता दिये जाने की लिखत भी दिनांक 24 मई 1992 की निष्पादित की हुई है। जिससे भी मौके पर रास्ता होना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलाण्ट ने स्वयं को वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार होना जाहिर किया है। किन्तु अपीलाण्ट के इस कथन की राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि अपीलाण्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी गांव बागा संवत 2058–2061 के अनुसार ग्राम बागा स्थित खसरा संख्या 333 के खातेदारान हिम्मताराम जस्साराम पिसरान नारायणराम चम्पालाल नेमीचंद पिसरान तुलसीराम व सुआ बेवा तुलसीराम जाति माली साकिन देह होना अंकित है, साथ ही विशेष विवरण के कॉलम में **"नामा. संख्या 668 अनुसार चम्पालाल फौत अतः उनके स्थान पर डूंगरसिंह, हुक्माराम, बाबुलाल पिसरान चम्पालाल, बरजूदेवी बेवा चम्पालाल, इन्द्रा पुत्री चम्पालाल दर्ज किया गया और नामा. संख्या 669 बंटवाडा के अनुसार खसरा संख्या 333 रकबा 15.12 बीघा श्री हिम्मताराम पुत्र नारायणराम के नाम दर्ज किया गया, अन्य खातेदारों को अन्य खसरों में भूमि दी गयी।"** अंकित किया हुआ है। इससे जाहिर होता है कि अपीलाण्ट उक्त खसरा संख्या 333 से हितबद्ध पक्षकार नहीं है। इसी प्रकार खसरा संख्या 325 से अपीलाण्ट हितबद्ध होने संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत पेश प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

मामले के गुणावगुण बाबत विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19 सितम्बर 2022 को संस्थित किया जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदारान–अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हळका एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका फर्द एवं तहसीलदार जोधपुर की अनुशंसा अनुसार मौके पर रास्ता चलायमान होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, साथ ही तहसीलदार को आदेशित किया कि "निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सर्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा, परन्तु नक्शें में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर